

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 108/11-12

(1) परिचयात्मक :-

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम — मधेपुरा जिला शिक्षा अधीक्षक अन्तर्गत मध्य विद्यालय कवियाही सिंहेश्वर के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राप्त अनुदान राशि का अंकेक्षण।

(ख) अंकेक्षणाधीन लेखा वर्ष — 2006-07 से 2010-11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम — मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षणाधीन अवधि में नियंत्री पदा०/लेखा प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के

नाम ,पदनाम —

(i) जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा

1. श्री श्रीराम सिंह 8.7.05 से 5.4.08 तक।
2. श्री बालकृष्ण दास 12.5.08 से 28.5.08 तक।
3. श्री श्रीराम सिंह 29.5.08 से 7.7.08 तक।
4. श्री नयन रंजन वर्मा 7.7.08 से 19.11.08 तक।
5. श्री राजदेव राम 19.11.08 से 31.1.09 तक।
6. श्री कुन्दन कुमार 11.2.09 से 12.9.09 तक।
7. श्री सत्येन्द्र ना० यादव 12.9.09 से 30.6.11 तक

(ii) प्रधान लिपिक

1. श्री सुरेश कुमार राय 13.4.05 से 19.8.07 तक
2. श्री ओम प्रकाश ठाकुर 20.8.07 से 7.8.08 तक
3. श्री नरेश प्रसाद 07.08.08 से अद्यतन।

(iii) लिपिक

1. श्री संजय कुमार सिंह 2.7.05 से 19.9.08
2. श्री सूर्यनारायण मंडल — 19.9.08 से अद्यतन।

अंकेक्षण अवधि के विद्यालय के प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष —

(iv) अध्यक्ष— श्री वासुदेव प्र० यादव प्रारम्भ से अद्यतन।

(v) सचिव — श्रीमती ललिता देवी प्रारम्भ से अद्यतन।

(vi) प्रधानाध्यापक— श्री विन्देश्वरी प्रसद यादव 1.8.04 से अद्यतन।

(ड़) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा०/कर्म० के नाम एवं पदनाम — 1. श्री अमेरिका प्रसाद जिला कार्यक्रम पदा०, मधेपुरा
2. श्री नरेश प्रसाद, प्रधान लिपिक
3. श्री विन्देश्वरी यादव, प्रधानाध्यापक म० वि० कवियाही

(च) वरीय अंकेक्षकों के नाम — 1. श्री भूपेन्द्र कुमार , व० अं०— 1
2. श्री संजय कुमार , व० अं०—2

(छ) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि — दि० 28.12.2011

(ज) अंकेक्षण समापन तिथि — दि० 27.01.2012

(झ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस — $14 \frac{2}{2}$ कार्य दिवस ।

(ञ) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।

(ट) अंकेक्षण का क्षेत्र —

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 में निहित अनुदेशों के परिपेक्ष में विद्यालय को वर्ष 2006-07 से 10-11 तक शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों को वेतन आदि मद में दी गई अनुदान राशि का अंकेक्षण प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों को वेतन आदि मद की अनुदान की राशि उप निदेशक (प्रा० शि०) बिहार सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को आवंटित किया गया था। वर्ष 06-07 से 10-11 तक संधारित रोकड़ पुस्त के आधार पर आय-व्यय की जाँच की गई।

अंकेक्षण अवधि में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा इस विद्यालय हेतु कोषागार से निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन कोषागार कार्यालय मधेपुरा के अभिलेखों से शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

(ठ) वित्तीय समीक्षा :-

उप निदेशक (प्रा० शि०) बिहार, पटना के द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त म० विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु आवंटन जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा को दिया गया था।

जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षकों का वेतन विपत्र विपत्र अंकेक्षण पंजी पर तैयार कर चेकों के माध्यम से वर्ष 06-07 से 08-09 तक सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु विद्यालय को दिया गया था। जबकि 09-10 एवं 10-11 में कोषागार से निकासी राशि शिक्षकों के बचत खाता में जमा कर उनके वेतन आदि का भुगतान किया गया था।

मधेपुरा जिला अन्तर्गत मध्य वि० कवियाही के शिक्षकों के वेतन आदि मद में सरकार की ओर से वर्ष 06-07 से 08-09 तक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल 1832000 एवं वर्ष 09-10 एवं 10-11 में आवंटन के माध्यम से कुल 1012884.00 था। इस प्रकार बैंक ड्राफ्ट की राशि 1832000+आवंटन के विरुद्ध निकासी राशि 1012884.00 = 2844884 जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा को प्राप्त हुआ था।

जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा के रोकड़ पुस्त में वर्ष 06-07 से पूर्व की राशि 9351 पाई गई। इस प्रकार 9351+2844884=2854235 में से वर्ष 06-07 से 10-11 तक वेतन आदि में कुल 2803145 व्यय किया गया शेष राशि 2854235-2803145=51090 में से 30379 आवंटन की राशि का प्रत्यार्पण किया गया एवं 16935 चेक के माध्यम से कोषागार में जमा किया गया पाया गया। इस प्रकार 51090- 47314 =3776 रोकड़ पुस्त में शेष के रूप में पाई गयी। आवंटन /आय एवं व्यय का वर्षवार विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर द्रष्टव्य हैं।

(ढ) विद्यालय को मान्यत -

मधेपुरा जिला अन्तर्गत मध्य विद्यालय कवियाही को 05.12.1966 को स्वीकृती प्रदान की गई थी।

(ण) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया :-

विद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय के प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया जाता है। नियुक्ति कर अनुशंसा के लिये जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजा जाता है। जिला शिक्षा अधीक्षक के अनुशंसा पर उपनिदेशक द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भाग -2

(2) भविष्य निधि अंशदान की राशि कुल रू0 116803 की कटौती नहीं किये जाने के सम्बन्ध में :-

जाँच में पाया गया कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय कवियाही को वर्ष 06-07 से 10-11 तक में वेतन का भुगतान किया गया, परन्तु सभी शिक्षकों को कुल राशि का भुगतान चेक के माध्यम से उनके खाता में जमा कर वेतन का भुगतान किया पाया गया। जबकि भ0 निधि में वेतन का 6 प्रतिशत कटौती कर राशि को उनके भ0 नि0 खाता में जमा किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में पाया गया कि जि0 कार्यक्रम पदा0 (स्था0) द्वारा बताया गया कि भविष्य निधि में कोई भी शिक्षक का भविष्य निधि का कटौती नहीं किया गया था। शिक्षकों को डाकघर में खाता खुलवाने हेतु पूर्व में ही आदेश दिया गया था। पुनः खाता खुलवाने हेतु निदेशन दिया जा रहा है। भविष्य निधि में जमा नहीं किये जाने से सम्बन्धित राशि की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ज" पर द्रष्टव्य है।

अतः सभी शिक्षकों के वेतन से भविष्य निधि की कटौती कर प्रशासी विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर संबंधित शिक्षकों के खातों में जमा कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(3) राशि रूपये 3776.00 कोषागार में जमा करने का सुझाव :-

जाँच में पाया गया कि गैर सरकारी अनुदान प्राप्त म0 विद्यालय कवियाही के शिक्षकों के वेतनादि मद में भुगतान हेतु वर्ष 06-07 से 09-10 तक में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल राशि 1832000 सरकार की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा को दिया गया था। गैर सरकारी विद्यालय से सम्बन्धित रोकड़ पुस्त में वर्ष 06-07 से पूर्व की राशि 9351 था। इस प्रकार बैंक ड्राफ्ट की कुल राशि $1832000 + 9351 = 1841351$ में से वेतनादि मद में 1820640 व्यय किया गया शेष राशि 20711 में से 16935 दि0 24.3.11 को चेक सं0 767156 के माध्यम से कोषागार मधेपुरा में जमा पाया गया।

शेष राशि $20711 - 16935 = 3776$ को भी कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं किया पाया गया। अतः इस राशि को कोषागार में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त अंकेक्षण विभाग, बिहार पटना को दी जाय।

भाग- 3

(4) उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जाना।

विद्यालय के शिक्षकों को वर्ष 06-07 से 2010-11 तक में वेतन आदि मद में भुगतान की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र न तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा और न तो विद्यालय द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। इस ओर उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(5) विद्यालय के प्रबन्धन कार्यकारिणी समिति की बैठक पंजी :-

विद्यालय के प्रबन्धन कार्यकारिणी समिति की बैठक पंजी की माँग विद्यालय के प्रधानाध्यापक से की गई। परन्तु बैठक पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे लिये गये नीतिगत एवं आर्थिक सम्बन्धी निर्णय की जानकारी अंकेक्षण को नहीं हो सकी।

(6) विद्यालय द्वारा रोकड़ पुस्त एवं वेतन भुगतान पंजी का संधारण नहीं किया जाना।

विद्यालय द्वारा रोकड़ पुस्त एवं वेतन भुगतान पंजी का संधारण नहीं किया गया। अतः भविष्य में रोकड़ पुस्त से वेतन भुगतान पंजी संधारण करने का सुझाव दिया जाता है।

**लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना**

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0 -2

(2)

“NISHU”

परिशिष्ट 'क' कंडिका -1(ट) से संबंधित

अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

1. विपत्र पंजी -2
2. रोकड़ पंजी -3
3. चेक बुक का अधकट्टी -2
4. रेमिटेन्स पंजी -1
5. अंकेक्षण पंजी (वेतन भुगतान पंजी)-2
6. शिक्षकों का पास बुक -1
आवंट से सम्बन्धित संचिका -2

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

1. जिला कार्यक्रम पदा0 (स्था0) का पास बुक
2. शिक्षकों का पास बुक -3
3. सेवा पुस्त
4. प्रबन्धन कार्यकारिणी सृमिति का बैठक पंजी उपयोगिता प्रमाण पत्र

क्र०	वित्तीय वर्ष	आय	व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2006-07	पूर्व का शेष 9351.00 आय — 600000.00 कुल — 609351.00	594436.00	14915.00	
2	2007-08	प्रा० शेष — 14915.00 आय— 800000.00 आय — 217000.00 कुल — 1031915.00	784980.00 13065.00 208919.00 1006964.00	24951.00	
3	2008-09	प्रा० शेष — 24951.00 आय — शून्य	शून्य	24951.00	
4	2009-10	प्रा० शेष — 24951.00 आय — 215000.00 आय — 400000.00	219240.00 368254.00 19113.00	20711.00 12633.00	पत्रांक 213 दिनांक 31.3.10 द्वारा मो० 12633.00 की वापसी
5	2010-11	प्रा० शेष — 20711.00 आय — 612884.00	595138.00	20711.00 17746.00	पत्रांक 405 दिनांक 31.3.11 द्वारा मो० 17746.00 वापसी में से अवशेष राशि 20711.00 चेक सं० 767156 दि० 24.3.11 द्वारा मो० 16935.00 चालान द्वारा कोषागार में जमा। शेष 3776.00 जो जमा करने योग्य है।

वर्ष 06-07 के पूर्व की 9351 कुल व्यय 2803145=51090 में (12633+17746+16935=47314) राशि

घटाकर शेष राशि 3776 जमा योग्य

आवंटित राशि — 2844884

2854235

परिशिष्ट "ज" कंडिका 2 से सम्बन्धित

क्र०	शिक्षक का नाम	माह का नाम	वेतन	भ० नि० में कटौती योग्य राशि	अभ्युक्ति
1	श्री बिन्देश्वरी प्रसाद यादव	मई 03 से जन -05 फर० -05 से मई 06 मार्च 07 से अक्टू -07 नव-07 से मई 08 मार्च 09 से जन०-10 फर० -10 मार्च -10 से जन०- 11 जून -06	125175.00 159000.00 83700.00 74550.00 12225.00 11250.00 218080.00 10050.00	7823.00 9937.00 5231.00 4659.00 7640.00 703.00 13630.00 <u>628.00</u> 50251.00	
2	श्री उपेन्द्र कुमार निराला	मई 03 से जन० 05 फर० 05 से मई 06 मार्च 07 से सित० 07 अक्टू० 07 से मई 08 मार्च 09 से जन० 10 मार्च 10 से जन० 11	114125.00 135000.00 61503.00 70578.00 99600.00 185330.00	7132.00 8437.00 3843.00 4411.00 6225.00 <u>11583.00</u> 41631.00	
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	मई 03 से अप्रैल 04	144000.00	9000.00	
4	श्री सरयु प्रसाद यादव	मई 03 से जन० - 05 फर० 05 से मई - 06	116750.00 138002.00	7296.00 <u>8625.00</u> 15921.00	

कुल राशि — 50251+41631+9000+15921=116803.00